epaper
हिन्दुस्तान

Seen this ad multiple times
Ad covered content
Not interested in this ad
Ad was inappropriate

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

ई-मेल: dscstschscheme.delhi@gov.in वेबसाइट: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं 2019-20

वर्ष 2019-20 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 06 अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इन क्रियाकलापों की समय-सीमा निम्नानुसार है।

क्रियाकलाप	तारीख
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (एनएसपी) करने की अंतिम तिथि (पहली बार आवेदक/नवीकरण)	**15 अक्टूबर, 2019 तक**
मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (एनएसपी) करने की अंतिम तिथि (पहली बार आवेदक/नवीकरण)	**31 अक्टूबर, 2019 तक**

पात्रता:-

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन में से किसी एक से सम्बन्धित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।
- सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जोकि आवेदन करने की तिथि को वैध हो।

निर्देश

आवेदकों के लिए:-

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट यथा **www.scholarships.gov.in** (इस साइट का लिंक **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है।) या मोबाइल ऐप- National Scholarship (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए:-

- **सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।**

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर जाएं।

समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री): 1800-11-2001 (समय सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छोड़कर)।

DIP/Shabdarth/0786/19-20 **प्रधान सचिव**